

W

E

पृष्ठ सं 14 पंजीय सं 562

आवेदक नन्दू राम

पिता :

ग्राम : राजपुर

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)


आदेश पत्रक - ता० से तक

जिला सं० सन 2014-15

केस का प्रकार :- खदीदगी/रैयती भूमि का सिमांकन

041

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
1	2	3										
<u>25/3/2014</u>	<p>आवेदक पिता का नाम</p> <p>ग्राम थाना - विश्रामपुर, जिला पलामू ने अपनी खरीदी हुई खतियानी भूमि के अंचल अमीन से सिमांकन कराने के लिए आवेदन देकर अनुरोध किया है।</p> <p>भूमि का विवरण</p> <table border="0"> <tr> <td>ग्राम</td> <td>थाना नं०</td> <td>खाता</td> <td>प्लॉट</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td>राजपुर</td> <td></td> <td>93-</td> <td>870 871 872 874</td> <td>0.30</td> </tr> </table>	ग्राम	थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा	राजपुर		93-	870 871 872 874	0.30	
ग्राम	थाना नं०	खाता	प्लॉट	रकबा								
राजपुर		93-	870 871 872 874	0.30								
<u>22/4/2014</u>	<p>उपरोक्त भूमि का जांच प्रतिवेदन हल्का कर्म०/अंचल निरीक्षक से माँग कर अभिलेख दिनांक ...22/4/2014... को रखें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी नावा बाजार।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। भूमि का जाँच प्रतिवेदन हल्का कर्म०/अंचल निरीक्षक से प्राप्त हुआ जिसमें अंचल अमीन ने एक/दो दिन के सिमांकन शुल्क जमा करने हेतु प्रतिवेदित किये हैं।</p> <p>आवेदक को आदेश दिया जाता है कि नाजीर के पास शुल्क 500/- रु० नगद जमाकर नाजीर से रसीद प्राप्त कर लें। नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से सिमांकन शुल्क जमा लेकर रसीद निर्गत करें।</p> <p>तदनुसार भूमि सिमांकन के लिए अंचल अमीन निर्गत करें तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि भूमि का सिमांकन करें। प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी नावा बाजार।</p>											



अभिलेख उपस्थापित किया गया। शीतल रक्षा से प्रतिवेदा माग नहीं किया गया है। कारण फरवरी 2023 के दिनांक 24/5/17 को प्रतिवेदा से माग करने हेतु नोटिसा निर्गत करे। साथ ही दिनांक 22/5/17 को माग हेतु शीतल रक्षा उपकरणों को नोटिसा निर्गत करे।

जाता

अंजलि अधिकारी

तावाकास

25.2.2023

अभिलेख उपस्थापित। अंजलि अमीर/अभिलेख
 द्वारा अंजलि अमीर है कि अंजलि अमीर अंजलि अमीर
 नहीं करते नया online उपस्थापित है अंजलि अमीर
 के अंजलि अमीर अंजलि अमीर की अंजलि अमीर
 की अंजलि अमीर है।

अंजलि

अंजलि अधिकारी

सेवा में,

श्रीमान् अंचल पद पिपकारी,

नाया बाजार, पतल्लू ।

विषय :- सीमांकन कराने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम राजहरा खाना नं० 132 अंचल

विश्रामपुर जिला पतल्लू के अन्दर खाना नं० 93 प्लॉट नं० 861, 870,

871, 872, 873, 874 तथा 837 रकबा क्रमशः 0.42, 0.29, 0.12—

0.02, 0.04, 0.24—¹ एवं 0.19—² एकड़ भूमि मेरी मां सुरजी देवी

पति लक्ष्मण भुईयों के नाम से खरीदगी प्राप्त है जिसका सरकारी

रतीद भी कट रहा है। बात में भेट टूट जाने के कारण मेरे भूमि को

दूसरे व्यक्ति कब्जा कर लिये हैं जिसका सीमांकन कराना अति

आवश्यक है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त क्षेत्रों की भूमि

का सीमांकन सरकारी अमीन से कराने की कृपा की जाय जिसके लिए

में सरकारी अमीन शूल्क जमा करने को तैयार हूँ ।

शुक्रवार

वेकेशन
क (जा) नं० 870
मन्ता 93
अर्थ 93
वकालत नं० 870
वकालत नं० 871
वकालत नं० 872
वकालत नं० 874
0.30 अ. 19/3/14

श्रीमान् का विश्वासी,

मन्मथ

नन्द अज्ञात राम ।

विन्दु राम

विन्दु राम ।

ग्राम राजहरा, अंचल विश्रामपुर

जिला पतल्लू ।

सेवा में
श्रीमान अन्याय पदाधिकारी
(बावाबाजार यलाह)

(11)

विषय :- सिमांकन वाढ संख्या A/2014-2015 के प्रतिवेदन के संकल्प में

महासच

श्रीमान के आदेशानुसार सिमांकन वाढ संख्या 16/2014-2015
द्वारा ~~सिमांकन~~ सिमांकन शुल्क जमा करने का आदेश मिमांदा
लेकिन सिमांकन शुल्क समझ रहे नहीं जमा करने के कारण
सिमांकन ~~सिमांकन~~ नहीं किया जा सका / सिमांकन में ऑनलाइन हो जाने
के कारण, ऑफ लाइन का सिमांकन शुल्क नहीं जमा हो पाएगा
तथा इस वाढ का कारवाई समाप्त कि जा सकती है।

अतः श्रीमान के समस्त प्रतिवेदन समर्पित।

सुधीर ठां ठानी
अ. बावाबाजार
24-2-2023

आशुभा

1/2
24.2.23